भारत के राजपत्र के भाग–III खंड 4 में प्रका ानार्थ
राश्ट्रीय अध्यापक ि ाक्षा परिशद

अधिसूचना

नई दिल्ली 01 जुलाई,, 2008

फा संख्या 48–3/(1)/2008 राअ ि ाप/मा तथा मा– विभिन्न अध्यापक ि ाक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मानदंडों और मानकों सहित मान्यता प्रदान किए जाने की क्रियाविधि निर्धारित करने वाले विनियम 10 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित दिनांक 27 नवंबर, 2007 के राश्ट्रीय अध्यापक ि ाक्षा परिशद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के रूप में प्रख्यापित किए गए थे। बाद में इन विनियमों के कार्यान्वयन पर विचार करते हुए राश्ट्रीय अध्यापक ि ाक्षा परिशद के दिनांक 21 जनवरी, 2008 के पत्र संख्या 48–3/2008/राअ ि ाप (मा तथा मा) के माध्यम से अपेक्षित स्पश्टीकरण जारी किए गए थे। इन विनियमों की धारा 5(4) तथा 5(5) में दी गई नि ि चत तिथि और समय–सीमा पर इस तथ्य के चलते पुनर्विचार किया गया कि ये विनियम 10 दिसंबर, 2007 को अर्थात धारा 5(4) के अनुसार चालू भौक्षणिक सत्र 2008–09 के लिए आवेदन–पत्र जमा करने की नि ि चत तारीख के बाद अधिसूचित किए गए थे।

तदनुसार उपर्युक्त विनियमों का सं ोधन करते हुए तथा राअ ि ाप अधिनियम, 1993 के खंड 32(2) के अधीन प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए राअ ि ाप एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती हैः

1. **संक्षिप्त भीर्शक और प्रवर्तन**

   (i) ये विनियम राश्ट्रीय अध्यापक ि ाक्षा परिशद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) (प्रथम सं ोधन) विनियम, 2008 कहलाएंगे।
   (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रका ान की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाशाएं**

   इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की दृश्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो यहां प्रयुक्त और राश्ट्रीय अध्यापक ि ाक्षा परिशद अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) में परिभाशित सभी भाब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें क्रम ाः उपर्युक्त अधिनियम में दिया गया है।

3. **प्रयोज्यता**

   ये विनियम अध्यापक ि ाक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में, जिनमें मानदंड और मानक तथा संस्थानों की मान्यता के लिए क्रियाविधियां, नए कार्यक्रमों की भाुरूआत तथा मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि तथा तत्संबंधी मामले भाामिल हैं, लागू होंगे। ये सं ोधन विनियम केवल चालू भौक्षणिक सत्र

अर्थात 2008–09 से नया अध्यापक प्रि ाक्षण पाठ्यक्रम भुारू करने के लिए मान्यता/मंजूरी प्रदान करने के वास्ते लागू होंगे और बाद के किसी वर्श के लिए नहीं। अगले भौक्षणिक सत्र अर्थात 2009–10 के बाद से विनियमों की धारा 5(4) तथा 5(5) में निर्दिश्ट नि िचत तारीख और समय–सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

4. सं ोधन की सीमा

राअि ाप (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 की धारा 5(5) धारा केवल चालू भौक्षणिक सत्र अर्थात 2008–09 से विभिन्न ि ाक्षक पाठ्यक्रम भुारू करने के लिए मान्यता/मंजूरी प्रदान किए जाने तक सं ोधित की गई है।

क्षेत्रीय समितियों के पास विचाराधीन पड़े सभी आवेदन–पत्रों पर चालू भौक्षणिक सत्र अर्थात 2008–09 के लिए संगत विनियमों के अनुसार तथा कालक्रमानुसार अनुक्रम रखते हुए कार्रवाई की जाएगी और प्रदान की गई अथवा नामंजूर की गई मान्यता के रूप में अंतिम निर्णय 31 अगस्त, 2008 तक सूचित कर दिया जाएगा।

हसीब अहमद
सदस्य सचिव

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)
भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड,
मायापुरी,
नई दिल्ली–110064